रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एस.)—72 REGISTERED No. D. (D.N.)—72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 279] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 1, 1982/आषाढ़ 10, 1904
No 279] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 1982/ASADHA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1982

का. आ. 469(अ) :—यतः दन्त चिकित्सा अधिनियम, 1948 (1948 का 16) की धारा 6 की उप-धारा (4) के साथ पठित धारा 3 के खण्ड (ग) का अनुसरण करते हुए, ब्रिगेडियर ओ. पी. जुनेजा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, दन्त शल्य चिकित्सा विभाग, सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पूणे को 17 जुलाई, 1981 से भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद् का निर्वाचित किया गया है ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 3 का अनुसरण करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की 9 फरवरी, 1978 की अधिसूचना सं. वी. 12013/1/77-एम. पी. टी. (पी. एम. एस.) (का. आ. 533) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में "(ग) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन निर्वाचित" शीर्ष के अन्तर्गत क्रम संख्या 4 और उससे सम्बन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं :—

"4. ब्रिगेडियर ओ. पी. जुनेजा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, दन्त शल्य चिकित्सा विभाग, सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे ।	डेंटल कालेजेज/डेंटल विंग्स 17-7-1981."

[सं. वी. 12013/3/81-पी. एम. एस.]

सी. वी. एस. मणि, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1982

S.O. 469(E).—Whereas in pursuance of clause (c) of section 3 read with sub-section (4) of section 6 of the Dentists Act, 1948 (16 of 1948), Brigadier O. P. Joneja, Professor and Head of the Department of Dental Surgery, Armed Forces Medical College, Pune, has been elected to be a member of the Dental Council of India with effect from the 17th July, 1981.

Now, therefore, in pursuance of section 3 of the Act, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare No. V. 12013/1/77-MPT(PMS) (S.O. 533) dated the 9th February, 1978, namely :—

In the said notifications under the heading "(c) Elected under clause (c) of Section 3" for serial number 4 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted :—

4. Brigadiar O. P. Joneja, Professor and Head of the Department of Dental Surgery, Armed Forces Medical College, Pune.	Dental Colleges/ Dental wings	17.7.1981.

[No. V. 12013/3/81-PMS]

C.V.S. MANI, Additional Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1982